F.No.- CSU-LKO/2022-2023/ Dir/01/ 67

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर,
विशाल खण्ड-4, गोमती नगर, लखनऊ
☎ 0522.2393748, Email- ksvvlucknowcampus@gmail.com
Website: - http://www.csu-lucknow.edu.in

दिनांक- 21/07/2022

सूचना

जिन छात्रों को छात्रावास आवण्टित किये गये हैं वे फार्म सं.1 जो वेबसाइट पर उपलब्ध है को पूर्णत: प्रपूरित कर सभी आवश्यक कागजात फोटो आदि के साथ हास्टल वार्डेन से सम्पर्क करेंगे।

(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि -
1. उपर्युक्त को सूचनार्थ
2. सूचना संचिका
3. संबधित संचिका
4. गार्ड फाइल
5. अतिरिक्त प्रति

(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

फार्म सं. 1

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर, लखनऊ

आवेदन पत्र संख्या– ....

छात्रावास शुल्क जमा बैंक ट्रांजेक्सन रसीद सं. एवं दिनांक ....
(छात्र स्वयं लिखें)

छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र तथा घोषणा–पत्र

1. छात्र का नाम ....

2. कक्षा ....विभाग ....वर्ष..

3. वर्तमान सत्र ....प्रवेश तिथि ....रसीद संख्या ....

4. (अ) पिता का नाम ....

(आ) माता का नाम ....

(इ) व्यवसाय ....

(ई) वार्षिक आय ....

5. वर्तमान पता एवं मोबाइल नं. ....

6. स्थायी पता एवं मोबाइल नं. ....

7. धर्म .... राष्ट्रीयता ....विवाहित/अविवाहित ....

8. GEN ( )/ ST ( )/ SC ( )/ OBC ( )/ EWS ( )/ PWD ( )

(आप जिस आरक्षित वर्ग के हों उस पर (√) का निशान लगाये)

9. स्थानीय संरक्षक का नाम एवं पता ....

....

10. क्या आप पूर्व में इस संस्थान के छात्र थे? हाँ/नहीं–यदि हाँ तो अन्तिम कक्षा ....

11. क्या आप पूर्व में यहाँ छात्रावासीय छात्र थे? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो उन सत्रों का पूर्ण विवरण...............................

....

12. क्या आप इस संस्थान के छात्रावास से पूर्व में कभी निष्कासन हुआ है? अथवा आप पर न्यायालय में कोई मुकदमा लम्बित है? स्पष्ट उल्लेख करें।

13. शैक्षिक योग्यता–

क्र.सं.	संस्थान का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत

14. खेलकूद–स्कूल, जिला, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व का उल्लेख

....

15. लखनऊ से छात्र के गाँव की दूरी कि.मी. में ....

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने वर्तमान सत्र की केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर के नियमावली में उल्लिखित छात्रावास सम्बन्धी सभी नियमों का विधिवत अध्ययन कर लिया है। मैं उन सभी नियमों के अनुसार छात्रावास में तथा विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मुझे अनुशासनहीन पाया जाता है तो छात्रावास के अधिकारी मुझे छात्रावास से तत्काल निष्कासित कर सकते हैं। इसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मुझे पूर्व में कभी छात्रावास से निकाला नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा छात्रावास सम्बन्धी कोई भी सामग्री नष्ट होती है तो उसकी भरपाई के लिए धनराशि का भुगतान मैं करूँगा/करूँगी। यदि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गयी सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरे विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जो भी अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी वह मुझे मान्य होगी।

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : विश्वविद्यालय परिसर की प्रवेश रसीद एवं शैक्षिक योग्यता की सभी प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र जांचा गया, छात्रावास की सुविधा देने के लिए प्रस्तुत है।

1.
2.
3.

दिनांक : छात्रावास अधीक्षक/अधिष्ठाता/सह अधिष्ठात्री के हस्ताक्षर

निदेशक

छात्र को छात्रावास की सुविधा दी जाए।

श्री....................................कक्षा......................ने प्रवेश शुल्क रु. .... विद्युत खर्च सम्बधी रु. .... तथा छात्रावास सुरक्षित धनराशि रु. ....हेतु कुल रु. ....(रूपये .... मात्र) जमा किया। जिसकी रसीद संख्या..........................तथा दिनांक ....है।

अनुभाग अधिकारी

कैशियर के हस्ताक्षर

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊपरिसर, लखनऊ

छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए आवश्यक नियम एवं शर्तें

परिसर के छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अधोलिखित नियम एवं शर्तों को पालन करना अनिवार्य है तथा उन्हें छात्रावास में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों की अवहेलना करते हुए पाये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी–

1. कोई भी छात्र, कक्षा में प्रवेश लेने मात्र से छात्रावास में स्थान पाने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। अर्थात् कोई छात्र इसलिए छात्रावास में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा कि उसने पूर्व–वर्ष में स्थान प्राप्त किया था, अपितु गतवर्षीय आचरण, अनुशासन एवं अध्ययन को ध्यान में रखते हुए छात्रावास में पुनः प्रवेश पर विचार किया जाएगा। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित छात्रावास अधिष्ठाता की संस्तुति अपेक्षित होगी। प्रतिवर्ष पुराने छात्र को भी वही कार्यवाही करनी होगी, जो परिसर में प्रवेश लेने वाले नवीन छात्र के द्वारा छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।
2. छात्रों को छात्रावास में प्रवेश तभी दिया जा सकेगा जब वे निर्धारित शुल्क, जो की प्रवेश शुल्क, सुरक्षित धनराशि, छात्रावास शुल्क, भोजनालय शुल्क आदि जमा कर देंगे। छात्रावास शुल्क समय–समय पर परिसर निदेशक के द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3. निर्धारित छात्रावास शुल्क वार्षिक जमा होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश योग्यता तथा मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
5. आचार्य द्वितीय वर्ष और विद्यावारिधि छात्रों को छात्रावास में प्रवेश से पहले नये छात्रों को छात्रावास में स्थान पाने हेतु वरीयता मिलेगी। उसके बाद ही पुराने छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
6. छात्रावास सुरक्षित धनराशि जो प्रवेश के समय जमा की जाती है, को शैक्षिक सत्र समाप्त होने के समय तभी वापस किया जायेगा, यदि छात्रावास में रहने की अवधि में छात्रावास के सभी सामान सही और सुरक्षित स्थिति में हों।
7. छात्रों को उसी कक्ष में रहना होगा जो उनको वार्डन/डिप्टी वार्डन के द्वारा आवण्टित किया गया हो। बिना वार्डन/डिप्टी वार्डन की अनुमति के कक्ष बदलना संभव नहीं होगा।
8. छात्र अनुशासन का कड़ाई से पालन करेंगे और दूसरों के लिए व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
9. छात्रावास का द्वार छात्रों के लिए रात्रि 9:00 बजे से एवं छात्राओं के लिए रात्रि 7.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक बन्द रहेगा। छात्र वार्डन/डिप्टी वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास से बाहर नहीं जा सकेगा।
10. सामान्यतः रात में 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक किसी भी कमरे में लाईट नहीं जलेगी। तथा इस दौरान फोन पर बातचीत भी प्रतिबन्धित होगी।
11. आपातस्थिति में छात्र निर्धारित समय के बाद भी वाचमैन से द्वार खोलने का अनुरोध कर सकता है। इसके लिए छात्रावास–पुस्तिका में कारण और समय अंकित करना होगा, कारण समुचित होना चाहिए।
12. छात्रों को अपने कक्ष और छात्रावास परिसर को स्वच्छ रखना होगा। भोजनालय में अव्यवस्था पैदा करना तथा भोजन के समय एक ही थाली में कई छात्रों का भोजन करना प्रतिबन्धित है।
13. छात्रावास में रहने वाले प्रत्येक छात्र को प्याज–लहसुन रहित भोजन की व्यवस्था स्वीकार करनी होगी।
14. छात्रावास में मांसाहार (अण्डा आदि) वर्जित है।
15. छात्रावास में धूम्रपान, वर्जित दवा और मद्यपान सख्त मना है। दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
16. पानी और बिजली का दुरुपयोग करना सख्त मना है। छात्र बाहर जाने से पहले नल और बिजली के यन्त्रों को ठीक से बन्द कर दें।

17. छात्रावास में बिजली के प्रेस, हीटर, ऊष्मा के संचालक, गीजर, रेडियो, साउण्ड सिस्टम, टेलीविजन आदि रखना सख्त मना है।
18. छात्रावास में रहने वाले छात्रों के अभिभावक को छात्रावास के कक्ष में रहने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक होने पर अभिभावक 100/—रूपये प्रतिदिन का भुगतान कर छात्रावास के अतिथि कक्ष में रह सकते हैं, बशर्ते कि छात्रावास का अतिथि कक्ष खाली हो और वार्डन/डिप्टी वार्डन से पूर्वानुमति ली गयी हो। अतिथि कक्ष में ठहरने की व्यवस्था को अधिकार नहीं माना जायेगा। अतिथियों को एक मास में दो दिन से अधिक कक्ष में ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
19. अतिथि के आगमन की सूचना गेट पर अतिथि पञ्जिका में दर्ज करनी होगी।
20. छात्रों को परिसर में आयोजित कक्षाओं, सेमिनार और सम्मेलन में भाग लेना अनिवार्य होगा। जो छात्र कक्षा—समय, सेमिनार और सम्मेलन के समय में छात्रावास में पाये जायेंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
21. छात्रों को छात्रावास की सभी कार्ययोजनाओं, जैसे— छात्रावास दिवस, पर्व और सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेना होगा।
22. छात्रावासीय छात्र के अतिरिक्त अन्य किसी छात्र को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं होगी।
23. छात्रावास में रहने वाले छात्र कोई भी महंगा सामान (आभूषणादि) या अधिक रूपये (नगद) कमरे में नहीं रखेंगे। खोने पर छात्रावास अधिष्ठाताओं की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।
24. छात्र कोई भी प्रतिबन्धित या अवैध वस्तु, अस्त्र—शस्त्रादि छात्रावास में न रखें। दोषी पाये जाने पर छात्र के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होगी।
25. विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये फर्नीचर को छात्र क्षति नहीं पहुँचायेंगे। क्षति होने पर छात्र से उसका लागत मूल्य वसूल किया जायेगा।
26. यदि कोई कठिनाई, समस्या और शिकायत हो तो वार्डन/डिप्टी वार्डन से सम्पर्क किया जा सकता है। छात्रावासीय समस्या का समाधान छात्रावास में ही होगा न कि परिसर में पठन पाठन के समय। छात्रावास में रहने वाले छात्र कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे।
27. वार्डन/डिप्टी वार्डन कभी भी छात्रावास का निरीक्षण कर सकते हैं।
28. छात्रावास में अनुचित व्यवहार एवं अनुशासन अवहेलना की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
29. छात्रावास में कोई भी छात्र किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं करेगा।
30. छात्रावास अधिष्ठाता द्वारा निर्णित प्रत्येक वर्ग का एक प्रतिनिधि किसी भी कमरे में अचानक प्रवेश कर जाँच कर सकता है। इस उत्तरदायित्व का निर्वहन चिह्नित प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से करना होगा।
31. वार्डन/डिप्टी वार्डन किसी भी छात्र को छात्रावास के सही संचालन के लिए कोई कार्य, जैसे समाचार पत्र की देखभाल, टेलीविजन के सही संचालन आदि का कार्य छात्रावास के निर्बाध संचालन हेतु दे सकते हैं।
32. छात्र छात्रावास को खाली करने से पहले कमरे की चाबी छात्रावास लिपिक/वार्डन/डिप्टी वार्डन को अवश्य दे दें।
33. वार्डन/डिप्टी वार्डन के द्वारा नामित छात्रों को कुछ जिम्मेदारी जैसे अखबार की देखभाल, टी.वी सेट का संचालन आदि का कार्य करना होगा। दूसरे छात्र नामित छात्रों का सहयोग करेंगे।
34. छात्रावास में टी.वी. रूम शाम को प्रतिदिन 6 बजे से 8 बजे तक ही खुलेगा। विशेष कार्यक्रम प्रसारण होने पर छात्रावास अधिष्ठाता की अनुमति अनिवार्य होगी। किन्तु अभी कोविड—19 के कारण सत्र 2021—22 में टी.वी. रूम पूर्ण रूपेण बंद रहेगा।
35. छात्रावास में रहने वाले छात्र परिसर को हरा भरा रखेंगे।
36. छात्रों को छात्रावास में उपलब्ध सुविधा से सामंजस्य स्थापित करना होगा।

37. छात्रावास से निर्गमन अथवा आगमन के समय छात्रावास में उपस्थित सुरक्षा प्रहरी से बिना विरोध अपनी सामग्री की जाँच करानी अनिवार्य होगी।
38. छात्रावास में भोजनालय के अतिरिक्त अन्य स्थान में भोजन करना, भोजन अपने कक्ष में ले जाना तथा भोजन की थाली बाथरूमों में साफ करना सख्त वर्जित है।
39. छात्रों को छात्रावास–शुल्क, प्रवेश–शुल्क और भोजनालयी–शुल्क की रसीद आदि आवश्यकता पड़ने पर दिखानी होगी।
40. छात्रावास में रहने वाले छात्र बिना वार्डन/डिप्टी वार्डन की पूर्वानुमति के छात्रावास न छोड़ें। यदि वे 3 (तीन) दिनों से अधिक बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
41. परिसर के अन्दर किसी छात्र/छात्रा/अध्यापक/कर्मचारी/आगन्तुक व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार वर्जित है।
42. उपर्युक्त नियमों का दृढ़ता से पालन न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
43. छात्रावास में रहने वाला कोई भी छात्र अपने कमरे से भिन्न दूसरे छात्र के कमरे में अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं करेगा। यह दण्डनीय अपराध है।
44. छात्रावासीय कोई भी छात्र जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।
45. छात्रावास में रैगिंग (उत्पीड़न) करना सर्वथा निषिद्ध है।
46. छात्रावास में कोविड–19 के उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करना होगा।
47. भोजन–परोसने का कार्य पाचकों/मेट्रन द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर भोजन–परिवेषण हेतु छात्र–छात्राओं की सहायता ली जा सकेगी।
48. छात्रावास सहित सम्पूर्ण परिसर में छात्रों के सामान्य व्यवहार की भाषा संस्कृत होगी।

मैं...,पिता................................,कक्षा...............................का/की छात्र/छात्रा घोषणा करता/करती हूँ कि परिसर के छात्रावास में रहने के लिए उपर्युक्त सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा वर्णित सभी नियमों व शर्तों को स्वीकार करता/करती हूँ, एवं अनुशासित रहकर दृढ़ता से पालन करने की शपथ लेता हूँ/लेती हूँ।

हस्ताक्षर

(   )

छात्र/छात्रा का पूरा नाम तथा मोबाइल संख्या